भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *286

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

न्यायालयों में मामलों की वर्चुअल सुनवाई

***286. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे :**

श्री चंद्र शेखर साहू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अदालतें देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी और इस महामारी के बाद मामलों की सुनवाई वर्चुअल तरीके से कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) देश में अदालतों में वर्चुअल तरीके से सुनवाई के लिए उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस्तेमाल किया जा रहा यह सॉफ्टवेयर कितना सुरक्षित हैं और इससे देश के लिए सुरक्षा जोखिम कितना कम है ;

(घ) क्या मंत्रालय का देश में न्यायालय में वर्चुअल तरीके से सुनवाई के कार्य के लिए एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार का निजी कंपनियों को ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित करने के लिए आमंत्रित करने का भी प्रस्ताव है जो दस्तावेजों संबंधी व्यापक कार्य और अदालतों के ग्राफिक्स के परिष्कृत उपयोग में सहायता करने में सक्षम हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

न्यायालयों में मामलों की वर्चुअल सुनवाई से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *286 जिसका उत्तर तारीख 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियों कांफ्रेसिंग न्यायालयों के आधार के रूप में ऊभरी है, चूकि सामूहिक रीति में भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नही थीं । कोविड लॉकडाउन अवधि के आरम्भ से वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से तारीख 30.04.2022 तक जिला न्यायालयों ने 1,28,76,549 मामलों में और उच्च न्यायालयों ने 63,76,561 मामलों में (कुल 1.92 करोड) सुनवाईयां की हैं । लॉकडाउन अवधि के आरम्भ से तारीख 13.06.2022 तक भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2,61,338 सुनवाईयां की है । वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के संचालन में एकरूपता लाने और उसको मानकीकृत करने के लिए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 6 अप्रैल, 2020 को एक व्यापक आदेश पारित किया गया था, जिसने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालय सुनवाई को विधिक पवित्रता और विधिमान्यता प्रदान की । इसके अतिरिक्त, पांच न्यायाधीश समिति द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग नियम बनाए गए थे, जो स्थानीय प्रासंगिकता के पश्चात् अंगीकरण हेतु सभी उच्च न्यायालयों को परिचारित किए गए थे । सभी न्यायालय परिसरों को जिसके अंतर्गत तालुक स्तर के न्यायालय भी हैं, प्रत्येक को एक, वीडियो कांफ्रेसिंग उपस्कर उपलब्ध कराया गया है और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वीडियो कांफ्रेसिंग उपस्कर के लिए अतिरिक्त निधियां भी मंजूर की गई हैं । 2506 वीडियो कांफ्रेसिंग केबिन स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध की गई हैं । अतिरिक्त 1500 वीडियो कांफ्रेसिंग अनुज्ञप्तियां प्राप्त की गई हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1272 जेलों के मध्य पहले ही वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधा समर्थित है ।

(ख) : देश भर के न्यायालय वर्तमान में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई करने के लिए, वीडियो कान्फ्रेसिंग मंचों जैसे कि वीडियो, जित्सी मीट, गूगल मीट, माइक्रोसाफ्ट टीम, सीस्को वेबएक्स आदि का प्रयोग कर रहे हैं ।

(ग) : उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस के एस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत) बनाम भारत संघ के मामले में यह विनिश्चित किया है कि निजता का अधिकार संविधान के भाग 3 द्वारा शासित स्वतंत्रताओं के भाग 3 के रूप में और अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और दैहिक_स्वतंत्रता के अंतरभूत भाग के रूप में संरक्षित है । निजता के अधिकार, सूचना और डाटा सुरक्षा के अधिकार में संतुलन के लिए विशेषज्ञ क्षेत्र से मिलकर बने

तकनीकी कार्य समूह सदस्यों की सहायता से उच्च न्यायालय के छह न्यायाधीशों से मिलकर बनी एक उप समिति का ई-समिति के अध्यक्ष द्वारा, निजता के अधिकार के संरक्षण के लिए डाटा सुरक्षा हेतु सुरक्षित संयोजकता और अधिप्रमाणित तंत्र के लिए सुझाव देने के लिए/सिफारिश करने के लिए गठन किया गया है । उप समिति, ई-न्यायालय परियोजनाओं के अधीन सृजित डिजीटल अवसंरचना, नेटवर्क और सेवा परिदान समाधान की सूक्ष्म रूप से सहायता और उसकी परीक्षा करेगा तथा आंकड़ों तक अप्राधिकृत पहुंच का निवारण करने और नागरिकों की निजता की सुरक्षा करने के लिए डाटा सुरक्षा को मजबूत करने हेतु समाधानों का प्रस्ताव करेगी ।

(घ) : भारत में निर्मित वीडियो कांफ्रेसिंग साफ्टवेयर का विकास करने के लिए एमईआईटीवाई (इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा शुरू किए गए "आत्मनिर्भर ऐप चलैंज" के भाग के रूप में यह सूचित किया जाता है कि एनआईसी भी ई-न्यायालयों के लिए भारत वीसी के कार्यान्वयन के विकल्प की खोज कर रहा है, जो एम/एस टेगनिशिया के भारतीय उत्पादों द्वारा संचालित है और यह समान वीडियो कांफ्रेसिंग मंचों के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए विचाराधीन है । उसका परीक्षण वर्जन प्रयोग के लिए www.bharatvc.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है । इसका न्यायालय पर्यावरण में उपयोक्ता मित्र बनाने के लिए अनुकूलन किया जा रहा है । साफ्टवेयर में सुधार करने के लिए उपयोक्ताओं का फीडबैक एकत्रित किया जा रहा है । एनआईसी अपने स्वयं का उत्पाद "एनआईसी मीट" भी विकसित कर रहा है, जो एफओएसएस साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए www.nicmeet.nic.in पर उपलब्ध है ।

(ङ) : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति, ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण, सामरिक निदेश और मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी है । न्याय विभाग, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की सिफारिशों पर उच्च न्यायालयों को निधियां जारी करता है । न्यायिक क्षेत्र में एआई के प्रयोग की खोज करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय ने आर्टिफिशएल इंटेलीजेंस समिति का गठन किया है, जो न्यायिक दस्तावेजों के अनुवाद, विधिक अनुसंधान सहायता और आटोमेशन प्रक्रिया में एआई प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप से परिलक्षित उपयोजन है ।

****